

छावनी परिषद, मथुरा CANTONMENT BOARD, MATHURA

Old Sister Mess Road, Near Regimental Bazar, Mathura Cantt-281001 (U.P.)

पत्रांक : छा.प.म./आर.टी.आई-05/542/829

दिनांक: 25 जून, 2018

श्री हरीश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री विशानचन्द्र गुप्ता,
निवासी - यमुना गिफ्ट एम्पोरियम, महाविद्या कालोनी, मथुरा।


विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 6(3) के अन्तर्गत आवेदन का स्थानान्तरण

संदर्भ: राज्य लोक सूचना अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (का0/व्य0), कलक्ट्रेट जनपद, मथुरा का पत्रांक 3538 दिनांक 16.05.2018 जिसके द्वारा आपके सूचना के मांग के अनुरोध पत्र दिनांक 03.05.2018 को उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, जनपद मथुरा को स्थानान्तरित किया है।

2. उपरोक्त संदर्भित आवेदन में मांगी गयी सूचना का विवरण निम्न प्रकार है:-

- बिन्दु 1** - इस परिषद में उपलब्ध मानचित्र के अनुसार सर्वे सं0 221 सिविल एरिया के अन्तर्गत आने वाली प्राइवेट जमींदारी भूमि का कुल क्षेत्रफल 149.69 एकड़ है।
- बिन्दु 2** - मयूर विहार कालोनी इस परिषद के क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत आती है। यद्यपि कालोनी का ले-आउट इस परिषद द्वारा स्वीकृत नहीं है।
- बिन्दु 3** - सर्वे सं0 221 के अन्तर्गत 149.69 एकड़ प्राइवेट जमींदारी भूमि इस परिषद की सीमाओं के अन्तर्गत आती है।
- बिन्दु 4** - इस परिषद की सीमाओं के अन्दर सर्वे सं0 221 के अन्तर्गत 07 प्राइवेट कालोनियाँ हैं।
- बिन्दु 5** - राजाराम पट्टी का ले-आउट प्लान इस परिषद द्वारा स्वीकृत नहीं है, इसलिये उक्त कालोनी का क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है।
- बिन्दु 6** - उक्त कालोनियाँ इस परिषद की सीमाओं के अन्तर्गत आती हैं।

3. उपरोक्त सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपील, यदि कोई है, इसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय के अपीलीय अधिकारी श्री नीरज जैन, मुख्य अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।


देवेन्द्र सिंह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
छावनी परिषद, मथुरा।

प्रतिलिपि :

राज्य लोक सूचना अधिकारी, - उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ।
अपर जिलाधिकारी (का0/व्य0),
कलक्ट्रेट जनपद, मथुरा

